प्रेस विज्ञप्ति

07.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स, रमन सोखल पुत्र विनोद सोखल, सतबीर छिकारा और अन्य के मामले में 25.16 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। जब्त नकदी, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, आवासीय घर, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में 25.16 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

ईडी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण (ईपी) अधिनियम, 1986 के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम) और अन्य के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत (पीसी) के आधार पर मामले में जांच की और बाद में ईडी जांच के आधार पर मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए), इसके साझेदारों नवीन गोयल और रमन सोखल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दिनांक 14/08/2023 को प्राथमिकी संख्या. 0449 भी दर्ज की गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि रमन सोखल, विनोद सोखल, सतबीर सिंह छिकारा ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स का गठन किया और 'पत्थर और संबंधित लघु खनिज' का खनन करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव में स्थित 'दादम हिल' का खनन पट्टा प्राप्त किया, और खनन क्षेत्र से बाहर अवैध और अवैज्ञानिक खनन करके अवैध धन अर्जित किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और उन्हें लाभ हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई।

इससे पहले, अपराध के आगम का पता लगाने और जब्त करने के लिए तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 4.81 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक बैलेंस, आभूषण, लग्जरी कारें आदि सहित अपराध संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत 30/05/2024 को मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स के प्रमुख व्यक्ति वेदपाल सिंह तंवर को गिरफ्तार किया था और विद्वान विशेष न्यायालय, साकेत ने उनकी नियमित जमानत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रथम दृष्टया यह धन शोधन का आरोपी है। वर्तमान में वह चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत पर है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन से आरोपियों ने 71.32 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) अर्जित किए हैं; और उसी पीओसी का इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण में किया गया। जांच के दौरान, आरोपियों की 71.32 करोड़ रुपये की उपर्युक्त मात्रा वाली पीओसी में से 25.16 करोड़ रुपये की पहचान की गई संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।